

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/विविध-07-95/2013...../ राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.02 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्न कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से ए.सी.पी. योजना के तहत औपबधिक रूप से रूपीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री वीरेन्द्र कुमार/ जे 9101/25.05.1965/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, जमशेदपुर	14.05.93	14.05.05	

2. उक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. ए.सी.पी. योजना 09.08.99 से लागू है किन्तु वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./--

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./--

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, जमशेदपुर/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, जमशेदपुर को श्री वीरेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता का सेवापुस्त जिल्द के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./--

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

309

राँची, दिनांक :-

15-1-14

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)